(3) विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना।
Pension Scheme for Widow/Deserted/Single Women

उद्देश्य विधवा/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख/पालन पोषण का उच्चित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्र हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35000/–रु0 से अधिक न हो।

अथवा

ऐसी विधवा/परित्यकता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 15000/–रु0 से अधिक न हो।

सहायता 550/–रु0 प्रतिमाह

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र महिलायें अपना प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क–अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।